

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
कार्यालय आदेश

का०आ०सं०-7प/चा0ए0-04-05/2022 23 /पं0रा0

पटना, दिनांक 10 / 01 / 2025

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं यथा जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरियों का वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक अंकेक्षण हेतु ई-टेंडर नोटिस सं० 7P/CA-04-05/2022/10554 दिनांक 03.10.2023 के निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों को जिला आवंटित किया गया था। उक्त निविदा में वर्णित निर्धारित नियम व शर्तों के अधीन सम्यक विचारोपरान्त विभाग द्वारा पूर्व से चयनित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अंकेक्षण कार्य हेतु अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नांकित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों को जिला आवंटित किया जाता है। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों को निदेश दिया जाता है कि दिनांक 15.01.2025 तक विभाग से कार्यादेश-सह-एकारनामा की दो प्रति प्राप्त कर लें एवं इसे हस्ताक्षरित कर एक प्रति विभाग को 17.01.2025 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराते हुए अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करें।

S.No.	Name of C.A.Firm	Allotted District
1.	M/s ANANT DOKANIA & CO. LLP	EAST CHAMPARAN, WEST CHAMPARAN
2.	M/s BIPIN VIVEK AND ASSOCIATES	MUZAFFARPUR, VAISHALI
3.	R N MISHRA & CO.	AURANGABAD, GAYA
4.	M/s DASSANI & ASSOCIATES	BHOJPUR, SARAN
5.	M/s U S PRASAD AND CO.	MADHUBANI, LAKHISARAI
6.	M/s K HARI JI AND CO.	BEGUSARAI, KHAGARIA
7.	M/s ANJALI JAIN & ASSOCIATES	GOPALGANJ, BHAGALPUR
8.	P K SINGHAL AND COMPANY	NALANDA, MADHEPURA
9.	H.S.PARMAR & COMPANY	KAIMUR, ROHTAS
10.	M/s KRA & CO.	JEHANABAD, PATNA
11.	M/s M K SINGH & CO.	DARBHANGA, SHEOHAR
12.	M/s DARUKA & CO.	ARARIA, SUPAUL
13.	M/s DUTTA P KUMAR & ASSOCIATES	SAMASTIPUR, SHEKHPURA
14.	M/s GOYAL PARUL & CO.	PURNIA, BUXAR
15.	M/s BARUN & CO.	NAWADA, BANKA
16.	M/s HABIBULLAH & CO.	KISHANGANJ, SITAMARHI
17.	M/s K R A P S & CO.	SAHARSA, KATIHAR

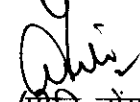
18.	M/s PCS AND ASSOCIATES	JAMUI, MUNGER
19.	M/s V. ROHATGI & CO.	SIWAN
20.	M/s N R BAID AND CO.	ARWAL

यदि किसी भी स्तर/समय पर चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों द्वारा निविदा पत्र में दी गई सूचनाएं/कागजात गलत या फर्जी पाई जाती है अथवा कार्य के दौरान फर्म द्वारा लापरवाही की जाती है, तो फर्म की उम्मीदवारी रद्द कर उन्हें अंकक्षण कार्यों से मुक्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 का अंकक्षण, कार्यादेश-सह-एकरारनामा की निर्गत की तिथि से 90 दिनों के अन्दर यथा दिनांक-16.04.2025 तक पूर्ण किया जाना है। यदि अंकक्षण कार्यों में शिथिलता एवं लापरवाही की जाती है, तो संबंधित फर्म की उम्मीदवारी रद्द करते हुए, उन्हें अंकक्षण कार्यों से मुक्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

यदि कोई अस्पष्टता एवं विसंगति आदि दृष्टिगोचर होती है या प्रकाश में लायी जाती है तो उस बिन्दु पर विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

विश्वासभाजन



(प्रीति तोंगरिया)

अपर सचिव

ज्ञापांक-7प/चा0ए0-04-05/2022 555/पं0रा0

पटना, दिनांक 10/01/2025

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद/सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



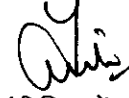
(प्रीति तोंगरिया)

अपर सचिव

ज्ञापांक-7प/चा0ए0-04-05/2022 555/पं0रा0

पटना, दिनांक 10/01/2025

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।



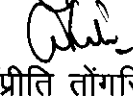
(प्रीति तोंगरिया)

अपर सचिव

ज्ञापांक-7प/चा0ए0-04-05/2022 555/पं0रा0

पटना, दिनांक 10/01/2025

प्रतिलिपि:- सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।



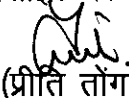
(प्रीति तोंगरिया)

अपर सचिव

ज्ञापांक-7प/चा0ए0-04-05/2022 555/पं0रा0

पटना, दिनांक 10/01/2025

प्रतिलिपि:- आईटी0 मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(प्रीति तोंगरिया)

अपर सचिव